प्रेस नोट दिनांक-28.07.2022

(1). आज दिनाँक-28.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(2). दिनाँक-27.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(3). आज दिनांक-28.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र कुमार, राय एवम क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अनुज मिश्र,, निरिक्षक एलआईयू चित्रकूट श्री सूर्यकांत अरुण राय के नेतृत्व में शिवानंद गिरी एलआईयू0, आरक्षी सुजीत डॉग स्क्वायड की संयुक्त टीम द्वारा श्रावण मास अमावस्या पर्व के दृष्टिगत ,रामघाट, रामायण मेला, आदि स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं की सघन चेकिंग की गयी। कोई संदिग्ध वस्तु/व्यक्ति नही पाया गया।

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री कमलेश कुमार तथा उनके हमराही आरक्षी भानु प्रताप द्वारा मु0अ0सं0 17/2022 धारा 307 भादवि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के वाँछित अभियुक्त मेघई उर्फ विजय केवट पुत्र लाली केवट निवासी कसहाई मजरा बरियारी कला थाना मऊ जनपद चित्रकूट को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री कमलेश कुमार थाना मऊ
2. आरक्षी भानु प्रताप

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वाँछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री राजेश राय थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 117/2022 धारा 363/376/344/120 बी भादवि0 व ¾ पॉस्को एक्ट के वाँछित अभियुक्त देवी प्रसाद यादव पुत्र गयाशरण निवासी नारायणपुर थाना कमासिन जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री राजेश राय थाना राजापुर
2. आरक्षी दीपक सिंह
3. आरक्षी निशांत यादव

(ii). उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 164/2021 धारा 376डी/506 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त शिवप्रसाद पुत्र गौरीशंकर माराचन्द्रा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट निवासी को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. **उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना पहाड़ी**
2. आरक्षी अनिकेत कुमार
3.

(6). आज दिनाँक 28.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।